मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्याः ए–49/13/5/2012–रा.भा. दिनांक : 2 जुलाई, 2013

परिपत्र

विषय : दिनांक 25.06.2013 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 143वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2013 को आयोजित क.रा.बी. निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

सेवा में,

1 मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2 संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3 उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4 महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर,नई दिल्ली–110023
5 बीमा आयुक्त(रा.प्र.अ.)/सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा।
6 सभी चिकित्सा अधीक्षक — क.रा.बी. अस्पताल।
7 मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं।
8 उप निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
9 संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क), मुख्यालय को प्रचारार्थ।
10 वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु।

C:\Amrit\Amrit - 415\राजभाषा\Satish\Vibhagiya Rajbhasha Karyanvayan Samiti\Minutes\Forwarding Letter of OLIC Minutes.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन.....
Website Contents Management.....
डायरी सं./Diary No. 383
दिनांक/Date 8/7/13

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 143वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 143वीं बैठक श्री एस.सी. चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2013, मंगलवार को अपराह्न 4.00 बजे मुख्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम श्री/श्रीमती	
1.	एस.सी. चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त(सू.सं.प्रौ./राजभाषा)	**अध्यक्ष**
2.	जोस चेरियन, बीमा आयुक्त	सदस्य
3.	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त(भर्ती)	सदस्य
4.	डॉ. पवन कुमार, उप चिकित्सा आयुक्त(भा.चि.प.)	सदस्य
5.	स्वदेश कुमार गर्ग, अपर आयुक्त	सदस्य
6.	संजय सिन्हा, निदेशक(सू.सं.प्रौ.)	सदस्य
7.	आमोद कुमार मिश्र, निदेशक(सतर्कता)	सदस्य
8.	डॉ. प्रवीण कुमार जैन,	सदस्य
9.	अमरीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक	सदस्य
10.	के.जी. सुरेश, संयुक्त निदेशक	सदस्य
11.	टी.टी.एम. ताराकन, संयुक्त निदेशक	सदस्य
12.	रत्नेश कुमार गौतम, संयुक्त निदेशक	सदस्य
13.	मुहम्मद इरफान, संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	अश्वनी कुमार निम, उप निदेशक	प्रतिनिधि
15.	मुकुल वत्स, सहायक निदेशक	प्रतिनिधि
16.	डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक(रा.भा.)	सदस्य-सचिव

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(रा.भा.) एवं श्री सुमेर सिंह, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।

सर्वप्रथम सदस्य-सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक(रा.भा.) ने मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के नए अध्यक्ष श्री एस.सी. चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त महोदय के साथ-साथ अन्य नए सदस्यों का समिति की ओर से स्वागत किया। सदस्य सचिव ने आशा व्यक्त की कि नए सदस्य अपने पूर्व कार्यालयों में राजभाषा नीति

के कार्यान्वयन के अनुभवों एवं मार्गदर्शन से मुख्यालय को भी लाभान्वित करेंगे। तदनंतर अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया।

सदस्य सचिव ने आरंभ में सूचित किया कि यह बैठक जून, 2013 तिमाही के लिए है। इसमें मार्च, 2013 तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर मदवार चर्चा हुई :-

मद संख्या 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा।

सदस्य सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओं को परिचालित किया गया था। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

पिछली बैठक में हुए निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य-सचिव ने बताया कि इसमें चार प्रमुख निर्णय हुए थे और राजभाषा शाखा की ओर से चारों पर कार्रवाई हो चुकी है। आशा है अधिकारी अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अधिकाधिक टिप्पणियां हिंदी में ही लिखेंगे। धारा 3(3) के अंतर्गत अनूदित दस्तावेजों को भी निरपवाद रूप से वेबसाइट में डलवाया जाएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के सौजन्य से अधिकारियों के लिए आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में मुख्यालय के अधिकारियों को नामित किया जाएगा। अवगत कराया गया कि मुख्यालय की हिंदी पत्रिका 'पंचदीप भारती' का पांचवां अंक तैयार हो चुका है तथा इसका विमोचन 05 जुलाई, 2013 को कोलकाता में राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी सदस्यों से सितम्बर, 2013 में प्रकाश्य अंक के लिए रचनाएं आमंत्रित कीं।

मद संख्या 2	हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

सदस्य सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा करते हुए कहा कि दिसम्बर तिमाही के दौरान कुल 12164 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे। नियमानुसार किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया। मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 77.7% 'ख' क्षेत्र के साथ 68.9% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 39.9% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया। तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 21836 टिप्पणियों में से 56% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं। स्थापना शाखा-2, चिकित्सा शाखा-4,

लेखा शाखा-2, लेखा शाखा-5, लेखा शाखा-6, लेखा शाखा-7, हितलाभ-1, राजस्व-1, राजस्व-2, लोक शिकायत कक्ष एवं निरीक्षण शाखा का मूल हिंदी पत्राचार 50% से कम पाया गया। बीमा आयुक्त(राजभाषा) ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। रोकड़ एवं सामान्य शाखा के पत्राचार में आई गिरावट पर इसके कारण जानने के लिए संबंधित शाखा को पत्र लिखने के लिए कहा। स्थापना शाखा-5, स्थापना शाखा-6 एवं लेखा शाखा-8 का हिंदी पत्राचार 90% से अधिक पाया गया इसलिए बीमा आयुक्त(राजभाषा) ने इन शाखाओं की सराहना की।

अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लिया कि मुख्यालय की फाइलों पर केवल 56% टिप्पणियां ही हिंदी में लिखी जा रही हैं जबकि इसके लिए निर्धारित प्रतिशतता 75 है। अतः हमें इन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री जोस चेरियन, बीमा आयुक्त ने कहा कि वे स्वयं ऐसी फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी लिखते हैं जिन पर अधीनस्थ कार्मिक द्वारा हिंदी में टिप्पणी लिखी हो। यदि सभी उच्चाधिकारी ऐसा करें तो हिंदी टिप्पणियों की संख्या बढ़ सकती है।

मद संख्या 3	**राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।**

इस मद पर सदस्यों में गहन विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय के निदेश पर सदस्य-सचिव ने बताया कि धारा 3(3) में सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं, निविदा सूचनाएं आदि आती हैं जो अधिदेशात्मक है। इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसके अनुपालन के प्रति विशेष सतर्कता बरतें। संपत्ति प्रबंधन प्रभाग द्वारा इस मद में दस्तावेजों की संख्या 443 दर्शाने पर अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि/जांच हेतु संबंधित शाखा को पत्र लिखने का निदेश दिया।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा अनेक मदों हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस वित्त वर्ष (2013-14) का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 29 अप्रैल, 2013 को मुख्यालय सहित देश के सभी निगम कार्यालयों/अस्पतालों में परिचालित कर दिया गया था। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि हम सभी इनमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। उन्होंने सूचित किया कि दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 95 कार्यालयों में

से निगम मुख्यालय को वर्ष 2012-13 में राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रगति के लिए शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

मद संख्या 5	जांच बिन्दुओं पर कार्रवाई।

सदस्य सचिव ने जांच बिन्दुओं की चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष 05 अप्रैल को जांच बिन्दु जारी किए गए। जांच बिन्दुओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि कार्यान्वयन संबंधी संपूर्ण कार्यक्रम इसमें समाहित हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि निगम मुख्यालय में इस समय 40 शाखाओं में से केवल 10 शाखाएं ही संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं जबकि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यानुसार कम-से-कम 40% (16) शाखाएं इस निमित्त विनिर्दिष्ट होनी चाहिएं। तदनुसार शाखाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में बेहतर निष्पादन के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि स्थापना-1, स्थापना-3, स्थापना-4, परीक्षा, योजना एवं विकास एवं जन संपर्क शाखाओं को भी इस मद के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाए।

मद संख्या 6	क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति।

सदस्य-सचिव ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि निगम की क्षेत्रीय इकाइयों में मुख्यालय की तुलना में बेहतर कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन पर निगरानी रखने के प्रयोजन से आलोच्य तिमाही में 03 निरीक्षण किए गए।

अध्यक्ष महोदय ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि किन क्षेत्र कार्यालयों में बेहतर कार्यान्वयन हो रहा है। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से आलोच्य तिमाही के दौरान 'क' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा, क्षेत्रीय कार्यालय पटना; 'ख' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, उप क्षेत्रीय कार्यालय सूरत, उप क्षेत्रीय कार्यालय, वड़ोदरा और 'ग' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय गोवा, क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलुरु, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में अच्छा कार्य हुआ।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2011-12 में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शील्ड व्यवस्था के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, 'ख' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय पुणे तथा 'ग' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय हुबली को विजेता घोषित किया गया था।

मद संख्या 7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों को अपने सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया।

- श्री स्वदेश कुमार गर्ग, अपर आयुक्त(प्रणाली) ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विप्रो मॉड्यूल/एप्लिकेशन केवल अंग्रेजी में होने से हिंदी में आशानुरूप कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अपरिवर्तनीय (Non editable) फार्मेट यथा सी-11, 19 आदि को द्विभाषी बना दिया जाए तो हिंदी कार्य में और प्रगति हो सकती है। इस संबंध में यह भी सहमति बनी कि यदि इन पर मुद्रित होने वाले पते डाटा बेस से अंग्रेजी में ही उठा लिए जाएं तो भी इन पत्रों को हिंदी पत्र माना जा सकता है।
- श्री स्वदेश कुमार गर्ग, अपर आयुक्त(प्रणाली) ने सूचित किया कि विप्रो द्वारा तैयार विभिन्न पोर्टल क्रमिक ढंग से द्विभाषी बनाए जाने की योजना है। इसके अंतर्गत नियोक्ता एवं कर्मचारी पोर्टलों को काफी हद तक द्विभाषी बनाया जा चुका है, इसी प्रकार अन्य को भी द्विभाषी बना लिया जाएगा।

  इस पर श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(राजभाषा) ने राजभाषा शाखा की ओर से त्वरित अनुवाद सेवाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

  अध्यक्ष महोदय ने इन प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
- श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त(भर्ती) ने सुझाव दिया कि यदि सभी अधिकारी अपनी अधिकाधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दें तो इससे कार्यालय में हिंदी के पक्ष में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और कर्मचारी भी हिंदी कार्य के लिए प्रेरित होंगे। परिणामस्वरूप पत्राचार स्वाभाविक रूप से हिंदी में हो जाएगा।
- श्री जोस चेरियन, बीमा आयुक्त ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हिंदी भाषी कार्मिक ही अपना कार्य हिंदी में निष्पादित नहीं करते। उनका सुझाव था कि हम कम-से-कम हिंदी पत्राचार पर संपूर्ण कार्रवाई हिंदी में सुनिश्चित कर लें तो राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में यह ठोस प्रयास होगा।

  अध्यक्ष महोदय ने दोनों सुझावों के प्रति आभार प्रकट किया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
<u>सदस्य-सचिव</u>